# राजस्थान सरकार

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः— सखअ / टोंक / निविदा / 2022 / 197 दिनांक :— 28/06/2022

टोंक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 18 जुलाई 2022 (दोपहर 2 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 को सायं 04.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर —1 में खोली जायेगी,** जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

| क्रम सं. | बजरी स्टॉक स्थल | बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे) | बयाना/ अमानता राशि | न्यूनतम बोली राशि (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामथला चौराहा से रामथला ग्राम की ओर, खसरा संख्या 1334 N25°52'07'', E75°17'18''(200 टन) व 1337 N25°52'10'', E75°17'18''(60 टन) तह0 देवली | 260 | 14300 | 143000 |
| 2 | मोटूका चैक पोस्ट, बरौनी तहसील व जिला टोंक | 180 | 9900 | 99000 |
| 3 | ग्राम राजमहल, जी.पी.एस. लोकेशन N25°53'17.348'', E75°29'03.208'' तह0 देवली | 5450 | 299750 | 2997500 |
| 4 | ग्राम रामथला खसरा सं. 1563, जी.पी.एस. लोकेशन N25°51'39.9'', E75°17'20.3'' (200 टन), खसरा सं. 1686, जी.पी.एस. लोकेशन N25°51'31.5'', E75°17'36.4''(1800 टन) तह0 देवली | 2000 | 110000 | 1100000 |

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :—

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्टॉक स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में 18 जुलाई 2022 (दोपहर 2 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता, टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग—2 स्टॉक स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग—अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित स्टॉक स्थल पर किया जा सकता है।

5. जप्तशुदा बजरी स्टॉक स्थल पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।

6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक **18 जुलाई 2022 को सायं 04.00 बजे** उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।

9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।

11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 01 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।

14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिहवन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।

17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियॉ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस सबन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नही होगा।

21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकिता दी जावेगी।

28/06/2022

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता टोक

9

क्रमांकः— सखअ/टोंक/नीलामी/2022/198-205 दिनांक : 28/06/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. जिला कलक्टर टोंक।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।
6. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

28/06/2022

सहायक खनि अभियन्ता टोंक

# राजस्थान सरकार
## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

---

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2022 / 207 दिनांक :– 28/06/2022

निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक के विभिन्न स्थलों पर 7890 टन जप्तशुदा खनिज बजरी के अवैध स्टॉकों की निलामी हेतु सार्वजनिक निविदाए, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

भवदीय
28/06/2022
(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

क्रमांक सखअ / टोंक / निविदा / 2022 / 208 – 220 दिनांक 28/06/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक टोंक।
3. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
5. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को अधिकाधिक प्रचार प्रसार हेतु।
7. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र ,जयपुर।
8. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर।
9. श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर ।
10. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।
11. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को पेश कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति 8 प्रतियों में मय सॉफ्ट कॉपी के, निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को व्यक्तिशः उपलब्ध करावें एवं पावती प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करे।
12. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने वास्ते।

28/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

राजस्थान सरकार

**कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक**

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक

email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

दिनांक : 22/06/22

क्रमांकः– सखअ/टोंक/निविदा/2022/206

# नीलामी सूचना प्रकाशन 01/2022–23

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक के विभिन्न स्थलों पर 7890 टन जप्तशुदा खनिज बजरी के निम्न अवैध स्टॉकों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें आमंत्रित की जाती है–

| क्रम सं. | बजरी स्टॉक स्थल | बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे) | बयाना/ अमानता राशि | न्यूनतम बोली राशि (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामथला चौराहा से रामथला ग्राम की ओर, खसरा संख्या 1334 N25°52'07'', E75°17'18''(200 टन) व 1337 N25°52'10'', E75°17'18''(60 टन) तह0 देवली | 260 | 14300 | 143000 |
| 2 | मोटूका चैक पोस्ट, बरौनी तहसील व जिला टोंक | 180 | 9900 | 99000 |
| 3 | ग्राम राजमहल, जी.पी.एस. लोकेशन N25°53'17.348'', E75°29'03.208'' तह0 देवली | 5450 | 299750 | 2997500 |
| 4 | ग्राम रामथला खसरा सं. 1563, जी.पी.एस. लोकेशन N25°51'39.9'', E75°17'20.3'' (200 टन), खसरा सं. 1686, जी.पी.एस. लोकेशन N25°51'31.5'', E75°17'36.4''(1800 टन) तह0 देवली | 2000 | 110000 | 1100000 |

उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रू. 1,000/– का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18 जुलाई 2022 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 18 जुलाई 2022 (दोपहर 2.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 18 जुलाई 2022 को सायं 0400 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

सहायक खनि अभियन्ता टोंक

# निविदा प्रपत्र

मेरे द्वारा खनिज बजरी स्टॉक स्थल ..................................... में पडी जप्तशुदा खनिज बजरी की मात्रा एवं गुणवत्ता आदि की जानकारी कर ली गई है।

मै खनिज बजरी स्टॉक स्थल .................................. में पडी सम्पूर्ण बजरी (मात्रा जो निविदा सूचना में अंकित है) के लिये अपनी निविदा बोली राशि रू. .......................... प्रस्तुत करता हूँ।

अमानता राशि का डी.डी./बैकर्स चैक संख्या ......................... दिनांक....................... राशि रू................. .... संलग्न है।

निविदा से संबंधित सभी शर्ते, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के सभी प्रावधान एवं कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से बजरी स्टॉक स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक, सिविल लाईन टोंक के कमरा नम्बर –01 में रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 18 जुलाई 2022(दोपहर 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–2 स्टॉक स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित बजरी स्टॉक स्थल पर किया जा सकता है।
5. जप्तशुदा बजरी स्टॉक स्थल पर, जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक कमरा नम्बर –1 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 1 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियॉ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नही होगा।
21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकिता दी जावेगी।

संलग्नः– 1

2

3

निविदादाता का नाम
एवं हस्ताक्षर मो. नं.